



राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान लेखा अनुभाग

रास्वापक. संस्थान/लेखा/विविध/2018-19

दिनांक:- 25.09.2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर गणना।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्रोत पर आयकर की कटौती हेतु समीक्षा की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि मकान किराया, एनएससी/एलआईसी/यूटीआई/ मेडी-क्लेम पॉलिसियों, गृह ऋण, ट्यूशन फीस, कर बचत (टेक्स-सेविंग) बांड इत्यादि के लिए किए गए भुगतान के दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नीचे दिए गए प्रोफार्मा में विवरण प्रस्तुत करें तथा 16.10.2020 से पहले अधोहस्ताक्षरी को यह शीट भरकर वापिस करें। कर्मचारी के ऐसा करने में असमर्थ/विफल होने पर माना जाएगा कि कर्मचारी के पास मान्यता प्राप्त निवेशों पर अनुमत छूट हेतु प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है। कृपया अपने पी.ए.एन का उल्लेख करें, यह रिटर्न भरने के लिए अनिवार्य है।

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, निम्न विकल्पों में से एक को चुनना होगा।

- पुरानी व्यवस्था (व्यक्तिगत आयकर की मौजूदा दर में कोई परिवर्तन नहीं)
- धारा 115-बीएसी के अंतर्गत नई व्यवस्था (यदि धारा 80 सीसीडी(2) के अलावा कोई अन्य छूट या कटौती का लाभ नहीं लिया गया है)

यदि कर्मचारी द्वारा इस तरह की सूचना नहीं दी जाती है, तो नियोक्ता अधिनियम की धारा 115- बीएसी के प्रावधान पर विचार किए बिना टीडीएस बना देगा।

सधन्यवाद।

अनुभाग अधिकारी/लेखाधिकारी

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि	लेखाकार द्वारा भरा जाएगा
1	कुल वेतन		
2	धारा-10 के अंतर्गत भत्ते		
	क. वाहन भत्ता		
	ख. मकान किराए का भुगतान (वार्षिक)		

	ग. गृह ऋण पर ब्याज		
3	अन्य स्रोतों से आय (यदि कोई)		
4	धारा 80 सी के अंतर्गत छूट और राहत (अधिकतम रु. 1,50,000/-)		
	क. जीपीएफ़/एनपीएस		
	स. पीपीएफ़/सुकन्या समृद्धि खाता योजना		
	ग. जीआईएस		
	घ. एलआईसी अथवा अन्य नीतियाँ (जीवन सुरक्षा सहित)		
	ड. एनएससी/यूटीआई/पीएलआई अथवा एफ़डी (न्यूनतम 5 वर्ष)		
	च. गृह ऋण प्रीमियम		
	छ. अवसंरचना बांड/म्युचुअल फंड		
	ज. ट्यूशन फीस		
	झ. सीजीएचएस/मेडी-क्लैम नीतियाँ		
	ञ. दान/चंदा (धारा 80 जी के अंतर्गत)		
	ट. पेंशन योजना में योगदान (धारा 80 सीसीडी (1बी) के अंतर्गत)		
	ठ. अन्य कोई		
5	आय जिस पर टैक्स कटना है		
6	आय+ उपकर		
7	स्रोत पर काटा गया कर		
8	टैक्स राशि जिसकी कटौती करनी है		

*मूल्यांकनकर्ता को अपने मकान मालिक का नाम, पता तथा पी.ए.एन प्रस्तुत करना होगा।

कर्मचारी का नाम एवं पदनाम :
विभाग/अनुभाग तथा इंटरकॉम नंबर :
पी.ए.एन (पैन संख्या) :
दिनांक सहित हस्ताक्षर :



THE NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
ACCOUNTS SECTION

NIHFW/Acctts./Misc./2018-19

Dated:- 25.09.2020

Subject: Calculation of Income Tax for the Financial Year 2020-2021.


An exercise of review the Income Tax deducted at source is being undertaken for the current financial year. You are requested to furnish the details in the proforma given below supported by the documentary evidence of payments made towards house rent, NSC/LIC/UTI/Medi-Claim policies, home loan, tuition fee, tax-saving bonds etc., and return this sheet to the undersigned before 16.10.2020, failing which it is presumed that the employee has nothing to produce for the purpose of rebates allowed on recognized investments. Please mention your PAN, it is mandatory for filing the return.

As per Finance Act, 2020, one has to be opting in following options.

- (a) Old Regime; (No change in existing rate of Personal Income Tax).
- (b) New Regime under Section 115-BAC; **(provided he/she does not avail any exemption or deductions except section 80CCD(2)).**

If such intimation is not made by the employee, the employer shall make TDS without considering the provision of section 115BAC of the Act.

Thanking you.


Section Officer (Accounts)

S. No.	Particulars	Amount	To be filled by Accountant
1	Gross Salary		
2	Allowances to the extent u/s 10		
	(a) Conveyance Allowance		
	(b) House Rent Paid (Annual)*		
	(c) Interest Paid on Home Loan		
3	Income from Other Sources (if any)		
4	Rebate & Relief u/s 80C (Max. upto Rs.1,50,000/-)		

Continued...

	(a) GPF/NPS		
	(b) PPF/Sukanya Samridhi Account Scheme		
	(c) GIS		
	(d) LIC or other policies (including Jeevan Suraksha)		
	(e) NSC/UTI/PLI or FD (for a minimum period of 5 years)		
	(f) Home Loan Premium		
	(g) Infrastructure Bonds/Mutual Fund(s)		
	(h) Tuition Fees		
	(i) CGHS/Medi-Claim Policies (u/s 80D)		
	(j) Donations (u/s 80G)		
	(k) Contribution to pension scheme (u/s 80CCD(1B))		
	(l) Any Other		
5	Taxable Income		
6	Income+Cess		
7	Tax Deducted at Source		
8	Tax to be deducted		
-	-		

*Assesses shall furnish name, address and PAN of his/her landlord(s).

Name of employee with designation : _____

Deptt./Section with intercom No. : _____

PAN : _____

Signature with Date : _____